

:: न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर (राजस्थान) ::

क्रमांक : स्था./2024/18

दिनांक : 19.04.2024

-:: कार्यालय आदेश ::-


मैं, परवीन वानू आरजेएस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के Gen/XII/06/1996/SC-I/659 दिनांक 16.04.2024 की पालना में दिनांक 26.04.2024 को लोकसभा चुनाव होने से निम्नांकित शासकीय अवकाश में डूंगरपुर जिले के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित अपराधिक प्रकरणों के निस्तारणार्थ निम्न अधिकारी को अधिकृत करती हूँ जो कि उक्त कार्य अपने न्यायालय कक्ष में प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे के मध्य सम्पादित करेंगे तथा यदि किसी कारण वश राज्य सरकार, राजस्थान के आदेशानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार राजकीय अवकाश के अगले ही दिन अचानक राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे घोषित राजकीय अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, वही अधिकारी ऐसे घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान इन्क्वेस्ट व मृत्युकालिन बयान व अन्य विशेष कार्य भी उसी अधिकारी द्वारा किये जायेंगे जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगायी गयी है।

माह : अप्रैल 2024

1.	26-04-2024 श्रीमती सीमा मीणा	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर
----	------------------------------	---

- नोट :-
1. उक्त राजकीय अवकाश के दिन तालुका मुख्यालय पर उपस्थित अधिकारी अपने थाना क्षेत्र के रिमाण्ड दे सकेंगे।
 2. रिमाण्ड आवेदन अवकाशकालीन न्यायालय के रागक्ष निर्धारित समयावधि के दौरान ही पेश किये जायेंगे तथा अनावश्यक विलम्ब करने पर संबंधित थानाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

क्रमांक : स्था./2024/698-714

दिनांक: 19.04.2024

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर।
2. श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय डूंगरपुर।
3. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर, / सागवाडा।
4. श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर।
5. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को अपने अधीनस्थ समस्त थानों को सूचित करने हेतु।
6. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर/सागवाडा।
7. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, डूंगरपुर।
8. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर/आसपुर/सीमलवाडा।
9. न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर।



10. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, आरापुर/विधीवाडा।
11. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, डूंगरपुर।
12. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, डूंगरपुर को लेख है कि उक्त राजकीय अवकाश के दिवस को संबंधित न्यायालय में ए.पी.पी. की ड्यूटी लगाने की आवश्यक रूप से व्यवस्था करावें।
13. नोटिस बोर्ड।
14. श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारात शाखा, डूंगरपुर।
15. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, डूंगरपुर।
16. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को वास्ते ऑफिशियल वेबसाईड पर डालने हेतु।
17. कार्यालय प्रति।

Laween Janu
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)